स०	सख्या और दिनांक	प्रस्तुतकर्ता	विषय
34.	G.S.R 55(E), dated 22nd January, 1972.	Department of Communications	Further amendment to the Indian Post Office Rules, 1933
	सा०का०नि० 55(अ), दिनांक 22 जनवरी, 1972.	सचार मत्रालय	भारतीय डाकघर नियम 1933 मे और आग सशोधन ।
35	G.S.R 56(E), dated 24th January, 1972.	Ministry of Finance	Exemption of compounded lubricating oils and greases from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of 13 per cent *ad alorem*
	सा०का०नि० 56(अ), दिनांक 24 जनवरी, 1972.	वित्त मत्रालय	मिश्रित स्नेहक-तेल और ग्रीजो को उतने उत्पाद-शुल्क से छूट जितना 13 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो ।
36	G.S.R. 57(E), dated 24th January, 1972	Ditto	Rates of exchange for conversion of foreign Currencies into Indian currency or *vice versa*
	सा०का०नि० 57(अ), दिनांक 24 जनवरी, 1972.	तदैव	विदेशी करेंसी से भारतीय करेसी मे और भारतीय करेंसी से विदेशी करेसी मे सपरिवतन के लिए विनियमय की दरे ।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतिया प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मागपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रो के जारी होने की तारीख से 10 दिन के भीतर पहुच जाने चाहिए ।

Copies of the Gazette Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

(रक्षा मंत्रालय का छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तगत बनाये और किय गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 13th May 1972

G.S.R. 558—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 8 of the Central Exise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No 51/63-Central Excises dated the 16th March, 1963, the Central Government hereby exempts processed groundnut oil, linseed oil copra oil and kardi seed oil falling under Item No 12 of the First Schedule to Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excise of Rs 68.90 per metric tonne

Provided that —

(i) such oil is produced by the solvent extraction method, and

(ii) the exemption shall be limited to an equivalent quantity of oil not exceeding 6 per cent of the weight of de-oiled cake obtained by a manufacturer from the solvent extraction plant and exported out of India subject to the satisfaction of the Collector of Central Excise

Explanation—For the purpose of this Notification "processed oil" shall have the same meaning as in Notification No 33/63-Central Excises dated the 1st March, 1963

[No 130/72-CE/F No 16/10/69-CX 3]

K. VISWANATHAN, Under Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 13 मई, 1972

सा० का० नि० 558.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 16 मार्च, 1963 की अधिसूचना सं० 51/63-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को अतिरिक्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 12 के अन्तर्गत आने वाले प्रसंस्कृत मूंगफली के तेल, अलसी के तेल, गरी के तेल और कार्डी के तेल को उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती हैं जितना 63.90 रु० प्रति मीटरी टन से अधिक है ;

परन्तु

(i) ऐसे तेल का उत्पादन विलायक निष्कर्षण पद्धति से किया गया हो; और

(ii) छूट, तेल की ऐसी समतुल्य मात्रा तक सीमित होगी जो किसी विनिर्माता द्वारा विलायक निष्कर्षण संयंत्र से प्राप्त और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधान पद रूप में भारत से बाहर निर्यातित निर्तेलीकृत खली के भार के 6 प्रतिशत से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "प्रसंस्कृत तेल" का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना सं० 33/63-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1963 में उसका है ।

[सं० 130/72-के०उ०शु०-फा०सं० 16/10/69-सी एक्स-3]

के० विश्वनाथन, अवर सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 13th May 1972

G.S.R. 559.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts samples of jute manufactures falling under Item No. 22-A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) required by Export Inspection Agency for the purpose of compulsory quality control and pre-shipment inspection under the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), from the whole of the duty leviable thereon:

Provided that proof of receipt of samples by the Export Inspection Agency is produced by the factory to the satisfaction of the Proper Officer of Central Excise within 30 days from the date of removal of such samples from the factors or such extended period as may be granted by the Collector of Central Excise

[No. 131/72-C.E.—F. No. 6/3/68-CX2.]

J. P. KAUSHIK Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 13 मई, 1972

सा० का० नि० 559.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22क के अन्तर्गत आने वाले जूट विनिर्माणों के नमूनों को, जिनकी अपेक्षा निर्यात अभिकरण द्वारा निर्यात (क्वालिटी) नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) के अधीन अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण और पोत पर चढ़ाने से पूर्व निरीक्षण के प्रयोजन के लिए की गई है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा दिया गया नमूनों की प्राप्ति का सबूत कारखाने से ऐसे नमूनों के हटाए जाने की तारीख से तीस दिन या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय उत्पादशुल्क कलक्टर द्वारा मंजूर की जाए, कारखाने द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के उचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पेश किया गया हो ।

[सं० 131/72-सी०ई०—फा०सं० 6/8/68-सी एक्स 2]

जे० पी० कौशिक, अवर सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 13th May 1972

G.S.R.560.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of of Revenue and Insurance) No. 170/66-Central Excises, dated the 29th October, 1966, the Central Government hereby exempts cuttings of plates, sheets and sleeper bars falling under Item No 26AA of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), used as splash plates in the maunfactures of steel ingots (falling under Item No. 26 of the said First Schedule) from so much of the duty of excise as is equivalent to the leviable on steel ingots:

Provided that where the said cuttings of plates sheets and sleeper bars are manufactured in one factory and used as splash plates in another factory, the procedure set out in Chapter X of the said rules is followed.

[No. 132/72.]

S. K. GHOSHAL, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पादशुल्क

नई दिल्ली, 13 मई, 1972

अधिसूचना

सा० का० नि० 560.—केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 29 अक्तूबर, 1966 की अधिसूचना सं० 170/66-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद० 26क्क के अन्तर्गत आने वाली प्लेटों, चादरों और स्लीपर की सलाखों के कतरनों को जिनका प्रयोग (उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत आने वाली) इस्पात की मिल्लियों के विनिर्माण में स्प्लैशप्लेटों के रूप में किया जाता है, उतने उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती हैं जितना इस्पाद की सिल्लियों पर उद्ग्रहणीय शुल्क के समतुल्य है :

परन्तु यह तब जब कि जहां प्लेटों, चादरों और स्लीपर की सलाखों के कतरनों का विनिर्माण एक कारखाने में किया जाता है और उसका योग स्प्लशप्लेटों के रूप में दूसरे कारखाने में किया जाता है वहां उक्त अधिनियमों के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो ।

[सं० 132/72]

एस० के० घोषाल, अवर सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 13th May 1972

G.S.R. 561.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 4 of the Finance Act, 1971 (14 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts raw naphtha, when imported into India, for the manufacture of fertilisers and petro-chemicals:—

(i) from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934);

(ii) from the regulatory duty of customs leviable thereon under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 38-Customs, dated the 17th March, 1972; and

(iii) from that portion of the additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as is in excess of the duty of excise leviable on such product manufactured in India when intended for use in the manufacture of fertilisers and petro-chemicals,

Provided that the importer, by the execution of a bond in such form and in such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay on demand in respect of such raw naphtha as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the dierence between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[No. 64/F. No. 355/126/71-Cus.I.]

J. DATTA Dy. Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 13 मई 1972

सा० का० नि० 561 :—वित्त अधिनियम, 1971 (1971 का 14) की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, कच्चे नैफथा को, उर्वरकों और पैट्रो-रसायनों के विनिर्माण के लिए, जब उसका भारत में आयात किया जाए :—

(i) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनसूची के अन्तर्गत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क से ;

(ii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 17 मार्च, 1972 की अधिसूचना सं० 38-सीमा-शुल्क के अन्तर्गत उस पर उद्ग्रहणीय विनियम-सम्बन्धी सीमा-शुल्क से ; और

(iii) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2 क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के उतने भाग से जितना भारत अतिरिक्त शुल्क के उतने भाग से जितना भारत में विनिर्मित ऐसे उत्पाद पर, जब वह उर्वरकों और पैट्रो-रसायनों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए आशयित हो, उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से अधिक हो, एतद्द्वारा छूट देती है ।

परन्तु आयात कर्ता ऐसे प्ररूप में और ऐसी राशि के लिए जैसा कि सहायक कलक्टर, सीमा-शुल्क विहित करे बंध-पत्र के निष्पादन द्वारा कच्चा नैफथा की ऐसी यात्रा की बाबत जो सहायक कलक्टर सीमा शुल्क के समाधानप्रद रूप से उपरोक्त प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं की गई है, उस रकम के लिए जो ऐसी यात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क, इसमें अन्तर्विष्ट छूट को छोडकर, और आयात के समय पहले ही सदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो, मांग किये जाये पर सदत्त करने के लिए अपने को बाध्य करेगा ।

[सं० 64/फा० सं० 355/126/71-सीमा-शुल्क-1]

ज्योतिर्मय दत्त, उप सचिव ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th April 1972

G.S.R. 562.—The words "Or, A degree in Telecommunication Engineering of a recognised University or Institute" may be inserted after the words "M. Sc. degree in Radio physics and Electronics from a recognised University" under the head "Essential Qualification in column 7(i) of the Schedule attached to the English version of the Notification regulating the method of recruitment for the post of Well Logging Technician in the Central Ground Water Board issued under even number dated 16th December, 1971.

[No. 7-7/70-T.W.]
L. N. LADHA, Dy. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1972

जी० एस० आर० 562—केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में कूप लागिंग टेकनीज के पद के लिए भर्ती पद्धति को विनियमित करने सम्बन्धी संसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर, के अंग्रेजी रूपान्तर से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 7 (i) में "अनिवार्य अर्हताएं" शीर्षक के अन्तर्गत किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रोनिकी की एम०एस०सी० उपाधि के शब्दों के पश्चात् "अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान के दूरसंचार इन्जीनियरिंग में एक उपाधि" शब्द लिख लिया जाये।

[संख्या 7-7/70-नलकप]
ल० ना० लढ्ढा,
उप सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 29th April 1972

G.S.R. 563.—The words "(Second Amendment)" may be substituted in place of the existing word "(Amendment)" appearing in para 1. (i) of this Ministry's Notification No. A 12018/8/70-SIV, dated 1st April, 1972.

[No. A-12018/8/70-SIV.]
R. K. GUPTA, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली 29 अप्रैल, 1972

जी०एस० आर० 563—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ए. 12018/8/70—एस—4, तारीख 1 अप्रैल, 1972 के पैरा 1 (i) में वर्तमान "(संशोधन)" शब्द के स्थान पर "(द्वितीय संशोधन)" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

[संख्या ए० 12018/8/70/एस० 4]
आर० के० गुप्त,
अवर सचिव।

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd April 1972

G.S.R. 564.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. 807 dated the 18th May, 1971, published at pages 2294 and 2295 in the Gazette of India Part II Section 3, sub-section (i) dated the 29th May, 1971 at page 2294,—

(i) in column 1, for "(Headquarters (Regional)" *read* "(Headquarters and Regional)";

(ii) in column 7 for "Accounts" *read* "Accountants".

[No. 31(3)/63-PF-I(i).]
DALJIT SINGH, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 22 अप्रैल 2972

सा० का० नि० 564—भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या 807, 8 मई, 1971 में जो भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में तारीख 29 मई, 1971 के पृष्ठ 2294 और 2295 पर प्रकाशित हुई थी, के पृष्ठ 2294 पर—

(i) स्तम्भ 1 में, "(मुख्यालय (प्रादेशिक)" के स्थान पर "मुख्यालय और प्रादेशिक)" पढ़ें ;

(ii) स्तम्भ 7 में "लेखा" के स्थान पर "लेखापाल" पढ़ें।

[संख्या 31(3)163 पी० एफ०-1(i)]
दलजीत सिंह अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972